

फर्द अहकाम

हनुमान सिंह बनाम मूंगाराम मंड

नाम न्यायालय

केस संख्या 19/2013

-1-

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/01/18	तकील जार्जी उपर कलस हेतु समग्र माहले ही पत्रावली काटे कलस दिनांक 22/2/18 को पेश की जा
	22/2/18	तकील जार्जी उपर कलस सुनी गई। पत्रावली काटे अंतर्लोकनार्थ दिनांक 27/2/18 को पेश की जा
	27/2/18	तकील जार्जी उपर दस्तावेज पेश किये जो शा. भि. किये गये। पत्रावली काटे अंतर्लोकनार्थ दिनांक 05/4/18 को पेश की जा
	05/4/18	तकील जार्जी उपर पत्रावली का अंतर्लोकन किया गया व कलस पर भवन किया गया। शुरु बाद इन्साय डुरुली व घोषणा व हथार निषेधाज्ञा का ही बाद के निषेधाज्ञा तक उभय पक्षों को रिहाउ व गॉरके की यथास्थिति बनाये रहे जाने अन्तर्-पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः कलस न्यायालय द्वारा पूर्व जारी अन्तर्लिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25/2/13 को वाफैसला बाद उभय पक्षकारान को पाबंद करते हुए कन्फर्म की जागी है। पत्रावली कलस सुभंग हेतु कलस नम्न से कम है तथा शुरु बाद के साधु संशोधन कलस माहले माहले 11/01/18 तारीख को कलस दिनांक 22/2/18 को पेश की जा

